संख्याः– 107/245/XX-1/10–01 ब./10

प्रेषक,

अनूप वधावन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून

गृह अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः– 4 मई अप्रैल, 2010

विषयः–वित्तीय वर्ष 2010–2011 में अवचनबद्ध मद के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के अर्द्ध शा. पत्र डीजी–छः–22/ 2010(40) दिनांक 12 अप्रैल, 2010 के क्रम में वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–187/XXVII(1)/2010 दिनांक 30 मार्च, 2010 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–2011 में कुम्भ मेला व्यवस्था हेतु संलग्न परिशिष्ठ के अनुसार अवचनबद्ध मदों में कुल रूपये 200 लाख (रूपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम् से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

3– धनराशि विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखने के उपरान्त भी आहरण–वितरण अधिकारियों के निवर्तन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है, अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि विभागाध्यक्ष के निस्तारण पर जो धनराशि रखी गई है वह आहरण–वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। विभागाध्यक्षों द्वारा आहरण–वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण संकलित कर निर्धारित प्रपत्र बी.एम.– 17 पर शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

4– धनराशि व्यय करते समय वित्तीय नियमों, वित्त हस्त पुस्तिका व बजट मैनुवल सुसंगत प्राविधानों, उत्तराखण्ड अभिप्राप्ति नियमावली के प्राविधानों तथा मितव्ययता सम्बन्धित निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

5– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा

क्रमश.....2

अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6– जैसा कि बजट मैनुअल पैरा–88 में इंगित किया गया है, नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो यह सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होंगे कि वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाय तथा बी.एम.–13 पर नियमित रूप से शासन को प्रतिमाह विलम्बतम 10 तारीख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध करायी जाय।

7– यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः–04 P/xxvii(5)/2010 दिनांक 28 अप्रैल, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैवः–

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तद्नुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय मोट्र्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़ देहरादून।
2. निदेशक कोषागार, 25 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
3. जिलाधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड।
4. निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन.आई.सी.) सचिवालय परिसर देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी हरिद्वार उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–5
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दीपम सेठ)
अपर सचिव